आदेश.

राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–1887/XVIII (II)/2015–18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015 एवं वित्त (वे.आ.–सा.नि.) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–111/XXVIII(7)50(39)–15/2015 दिनांक 09.07.2015 में निहित प्राविधानों के आधार पर जनपद पिथौरागढ़, तहसील बेरीनाग अन्तर्गत रीठा रैतोली से मुवानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु ग्राम **रैतोली** पट्टी खितोली के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या–11 श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 724 रकवा 0.031 है0, 726 रकवा 0.050 है0, 762 रकवा 0.025 है0, 820 रकवा 0.030 है0, 821 रकवा 0.031 है0, 822 रकवा 0.050 है0, 823 रकवा 0.080 है0, 871 रकवा 0.006 है0, 880 रकवा 0.005 है0, 914 रकवा 0.040 है0, 934 रकवा 0.030 है0, 962 रकवा 0.005 है0, 989 रकवा 0.030 है0, 1002 रकवा 0.031 है0, 1003 रकवा 0.026 है0, 3082 रकवा 0.003 है0, 3083 रकवा 0.048 है0, 3099 रकवा 0.020 है0, 3215 रकवा 0.040 है0, 3227 रकवा 0.005 है0, 3317 रकवा 0.010 है0, 3355 रकवा 0.003 है0, 3374 रकवा 0.146 है0, 3388 रकवा 0.160 है0 कुल 24 खेत रकवा 0.905 है0 तथा खाता संख्या–22 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 3326 रकवा 0.010 है0, 3405 रकवा 0.005 कुल 02 खेतों की 0.015 है0 इस प्रकार उक्त दो खातों के कुल 26 खेतों की 0.920 है0 राज्य भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों तथा जिला योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 29.07.2012 के क्रम में निम्न लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम–1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमनय होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस.एल.पी.)/सं. संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436/2011@SLP (C) N0.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः.....02 पर/

Scanned by CamScanner

10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो के बिन्दु संख्या—01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

अतः उक्तनुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामांन्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक नवम्बर 20, 2017

(सी0 रविशंकर)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या—395 /सात—8 /2017—18 दिनांक नवम्बर29, 2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. उप जिलाधिकारी बेरीनाग।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग।
4. तहसीलदार बेरीनाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन कर प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं **नामान्तरण उपरान्त अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें,** खसरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(सी0 रविशंकर)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

Scanned by CamScanner